

29-11-18

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्त सरणी - -
राजवती जो अन्य नावालिगान अपीलान्त सं 1007
की माता है के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिफे
वकील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि
इस मामले में राजीनामा हो गया है अब कपील
इस कपील को आगे नहीं चलाना चाहते इसलिए
कपील को बिना किफा जफत करके दफ्तार किया
जावे। अपने कथनों की तादत में कपीलान्त द्वारा
अंगूठा निशानी जंकिर की गई जिसको उनके वकील
श्री संतोषी लाल Adv. द्वारा ओडिशिका पर प्रमाणित
किया गया है। चूंकि कपीलान्त स्वयं ने उपस्थित
होकर जरिफे वकील इस कपील को आगे न

→ Next Page

मि. क. व. र.
प. ज. र.
ज. र. म.
द. र. म.
C

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

चलाना जाकर विद्वे लिये जाने की मंशा
जाहिर की है। ऐसी स्थिति में इत अपील
को अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
लिहाजा यह अपील अपील-रस के द्वारा
आगे न चलाए जाने के कारण इसी स्तर
पर ड्रॉप की जाती है। प्रकरण कैसल शुमा
किमा जाकर वाद पूर्ति दालिल दफ्तार किया
जावे।